

## कार्यालय सभागीय मुख्य वन संरक्षक, बीकानेर

क्रमांक :- एफ12(325)सर्वे/संमुखसं/2021-22/00461/1651

दिनांक :- 17-03-2023

निमित्त :-

अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक,  
प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी,  
एफसीए, अरण्य भवन, राजस्थान, जयपुर।

विषय :- Diversion of 0.4185 ha. of forest land in favour of TELESONIC NETWORKS LIMITED for Laying of Laying OFC CABLE BLOWING WORK FOR TELESONIC CONNECTIVITY from Forest Naka, near Camel Farm, Kotri Road to Surdhana in Bikaner of total length 9000 mtr. (Area - 0.4185 Hect.)

प्रसंग :- राज्य सरकार, वन विभाग का पत्रांक प.1(56)वन/2022 दिनांक 01.06.2022 के क्रम में।  
(Proposal No. : FP/RJ/OFC/149705/2021)

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि आलौच्य प्रकरण में राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्र दिनांक 01.06.2022 को जारी की गयी सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना उप वन संरक्षक, वन्यजीव बीकानेर के पत्रांक 759 दिनांक 17.03.2023 (प्रति संलग्न) से प्रस्तुत की गयी है, जिसके क्रम में इस कार्यालय द्वारा बिन्दुवार पालना निम्नानुसार प्रेषित है:-

क्र. सं.	शर्त	पालना रिपोर्ट
1	वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।	वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जावेगा, इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
2	प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा।	प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा, इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
3	याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेगें।	याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेगें, इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
4	प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले वृक्षों को वन विभाग की बिना पूर्वानुमति के नहीं काटा जावे। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर, वन विभाग के होंगे।	प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले वृक्षों को वन विभाग की बिना पूर्वानुमति के नहीं काटा जावेगा। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर, वन विभाग के होंगे, इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
5	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा, इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
6	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/केरोसिन तेल आपूर्ति की जावेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/केरोसिन तेल की आपूर्ति की जावेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो, इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।

Digitally signed by Manumana Ram  
Designation: Conservator Of Forest  
Date: 2023.03.17 17:51:47 IST  
Reason: Approver

RajKaj Ref No. : 3425556



7	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस-पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस-पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा, इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
8	प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा, इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
9	प्रयोक्ता अभिकरण, सैद्धान्तिक स्वीकृति की पालना के साथ एफ.आर.ए. सर्टिफिकेट प्रस्तुत करावेगा। तदोपरान्त ही विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।	एफ.आर.ए. सर्टिफिकेट (मूल प्रति) संलग्न है। प्रस्तावित वन भूमि के क्षेत्रफल में त्रुटि के क्रम में उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर के पत्रांक 33 दिनांक 19.01.2023 तथा तत्पश्चात् अति. जिला कलक्टर, बीकानेर के पत्रांक 1502-04 दिनांक 13.03.2023 के जरिये प्रस्तावित वन भूमि का रकबा 0.4815 के स्थान पर 0.4185 हैक्टर संशोधित किए जाने के आशय के आदेश जारी किये गये। (प्रतियां संलग्न)
10	राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा।	राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा, इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
11	भारत सरकार के पत्रांक 7-23/2012/एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जावे तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूजर एजेन्सी हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक-एक समाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित करावे एवं जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।	भारत सरकार के पत्रांक 7-23/2012/एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जावेगी। सैद्धान्तिक स्वीकृति को यूजर एजेन्सी द्वारा हिन्दी समाचार पत्र - दैनिक युग पक्ष एवं अंग्रेजी समाचार पत्र - The Indian Express में प्रकाशित होने वाले एक-एक समाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित करवा दिया गया है। समाचार पत्रों की प्रतियां संलग्न है। जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका को उपलब्ध करवा दी गई है। वचनबद्धता संलग्न है।

संलग्न :- अनुपालना रिपोर्ट दो प्रतियां - एक मूल एवं एक अतिरिक्त प्रति।

(कुल किता - 54 पृष्ठ एवं 4 अखबार प्रति)

भवदीय,

(हनुमाना राम)

संभागीय मुख्य वन संरक्षक

बीकानेर

दिनांक:- 17-03-2023

क्रमांक : सम संख्यक / 1652

प्रतिलिपि उप वन संरक्षक, वन्यजीव बीकानेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

Signature valid

Digitally signed by Hanumana Ram  
Designation: Conservator Of Forest  
Date: 2023.03.17 17:51:47 IST  
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 3425556



# कार्यालय उप वन संरक्षक, वन्य जीव बीकानेर

पब्लिक पार्क, बीकानेर email:-dcfwl.bknr.forest@rajasthan.gov.in, 0151-2527901

क्रमांक :- एफ ( )सर्वे/उवसवजी/2022/759

दिनांक:- 17-03-2023

श्रीमान संभागीय मुख्य वन संरक्षक,  
बीकानेर।

विषय:- Diversion of 0.4185 ha. of forest land in favour of TELESONIC NETWORKS LIMITED for Laying of Laying OFC CABLE BLOWING WORK FOR TELESONIC CONNECTIVITY from Forest Naka, near Camel Farm, Kotri Road to Surdhana in Bikaner of total Length 9000 mtr. (Area- 0.4185 Hect.)

संदर्भ:-राज्य सरकार का पत्रांक प. 1 (56) वन/2022 दिनांक 01.06.2022 एवं अति. प्रमुवसं प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी, एफसीए राजस्थान जयपुर का पत्रांक एफ. 14 (OFC) 2021/एफसीए/प्रमुवसं/1979 दिनांक 08.06.2022 के क्रम में।  
संभागीय मुख्य वन संरक्षक, बीकानेर के पत्रांक एफ 12 (325)सर्वे/संमुंवसं/2021-22/00461/1633 दिनांक 17.03.2023

**Proposal No. : FP/RJ/ OFC/149705/2021 (0.4185 ha.)**

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में निवेदन है कि श्रीमान शासन सचिव राजस्थान सरकार वन विभाग के पत्रांक प. 1 (56) वन/2022 दिनांक 01.06.2022 (ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या FP/RJ/ OFC/149705/2021) विभाग द्वारा उक्त वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रकरण में वन भूमि 0.4185 हैक्टर हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की गई है जिसकी पालना में यूजर एजेन्सी ने सैद्धान्तिक स्वीकृति की बिन्दुवार संशोधित पालना रिपोर्ट निम्नानुसार कर दी गई है, जिसकी प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है:-

**Proposal No. : FP/RJ/ OFC/149705/2021 (0.4185 ha.)**

क्र. सं.	शर्त	पालना
1.	वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।	वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जावेगा। यूजर एजेन्सी की वचनबद्धता संलग्न है।
2.	प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा।	प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा। यूजर एजेन्सी की वचनबद्धता संलग्न है।
3.	याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे।	याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे। यूजर एजेन्सी की वचनबद्धता संलग्न है।
4.	प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले वृक्षों को वन विभाग की बिना पुर्वानुमति के नहीं काटा जावे। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड परिपक्व होने पर, वन विभाग के होंगे।	प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले वृक्षों को वन विभाग की बिना पुर्वानुमति के नहीं काटा जावे। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड परिपक्व होने पर, वन विभाग के होंगे। यूजर एजेन्सी की वचनबद्धता संलग्न है।
5.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा। यूजर एजेन्सी की वचनबद्धता संलग्न है।

6.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसाई गैस/केरोसिन तेल आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसाई गैस/केरोसिन तेल आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो। यूजर एजेन्सी की वचनबद्धता संलग्न है।
7.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस-पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस-पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा। यूजर एजेन्सी की वचनबद्धता संलग्न है।
8.	प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा। यूजर एजेन्सी की वचनबद्धता संलग्न है।
9.	प्रयोक्ता अभिकरण, सैद्धान्तिक स्वीकृति की पालना के साथ एफ.आर.ए. सर्टिफिकेट प्रस्तुत करावेगा। तदोपरान्त ही विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।	एफ.आर.ए. सर्टिफिकेट पालना रिपोर्ट के साथ संलग्न प्रेषित है।
10.	राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा।	राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा। यूजर एजेन्सी की वचनबद्धता संलग्न है।
11.	भारत सरकार के पत्रांक 7-23/2012/एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जावे तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूजर एजेन्सी हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक-एक समाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित करावे एवं जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।	भारत सरकार के पत्रांक 7-23/2012/एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जावेगी। सैद्धान्तिक स्वीकृति को यूजर एजेन्सी द्वारा हिन्दी समाचार पत्र- दैनिक युग पक्ष एवं अंग्रेजी समाचार पत्र - The Indian Express में प्रकाशित होने वाले एक-एक समाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित करवा दिया है। समाचार पत्र की प्रतियां संलग्न है। जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगर पालिका को उपलब्ध करवा दी गई है। वचनबद्धता संलग्न है।

संलग्न:-उक्तानुसार।

भवदीय,

(डॉ. सुनील कुमार गौड़)  
उप वन संरक्षक  
वन्यजीव, बीकानेर

दिनांक:-

क्रमांक: सम/ 760-64

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस कार्यालय के पूर्व पत्रांक 743-747 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. श्रीमान शासन सचिव राजस्थान सरकार वन विभाग, जयपुर।
2. श्रीमान प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, राजस्थान, जयपुर।
3. श्रीमान अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी एफसीए, राजस्थान, जयपुर।
4. श्रीमान जिला कलक्टर, बीकानेर।
5. टेनिसोनिक नेटवर्क लि. जयपुर।

उप वन संरक्षक  
वन्यजीव, बीकानेर

सेवामें,

श्रीमान् उप वन संरक्षक,  
वन्यजीव बीकानेर।

विषय :- Diversion of 0.4185 Ha. of forest land in favour of TELESONIC NETWORKS LIMITED FOR Laying of OFC CABLE BLOWING WORK FOR TELESONIC CONNECTIVITY from Forest Naka, Near Camel Farm, Kotri Road to Surdhana in Bikaner of Total length 9000 mtr. ( Proposal No.: FP/RJ/OFC/149705/2021)

संदर्भ:- संभागीय मुख्य वन संरक्षक, बीकानेर के पत्रांक एफ 12(325)सर्वे/संमुवसं/2021-22 /9247, दिनांक: 21-12-2022

महोदय

उपरोक्त विषयान्तर्गत सदरभित पत्र के क्रम में निवेदन है कि Diversion of 0.4185 Ha. of forest land in favour of TELESONIC NETWORKS LIMITED FOR Laying of OFC CABLE BLOWING WORK FOR TELESONIC CONNECTIVITY from Forest Naka, Near Camel Farm, Kotri Road to Surdhana in Bikaner of Total length 9000 mtr. ( Proposal No.: FP/RJ/OFC/149705/2021) हेतु जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति की पालना में पालना रिपोर्ट प्रेषित की गई थी, जिसका परीक्षण करने के उपरान्त लगाये गये आक्षेपों की पूर्ति निम्नानुसार की जाकर प्रस्ताव आवश्यक कार्यवाही हेतु पुनः प्रस्तुत है:-

क्र.सं.	आक्षेप	जवाब
1.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत वचनबद्धता प्रमाण पत्रों में प्रोजेक्ट का नाम एवं शासकीय स्तर से जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति में वर्णित प्रोजेक्ट टाइटल में भिन्नता है।	संशोधित कर दिया गया है।
2.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति की पालना के साथ जिलाधीश कार्यालय से जारी एफआरए सर्टिफिकेट में प्रस्तावित प्रत्यावर्तित संरक्षित वन भूमि का क्षेत्रफल 0.4815 हैक्टर वर्णित किया गया है जबकि सैद्धान्तिक स्वीकृति में प्रत्यावर्तित वन भूमि क्षेत्रफल 0.4185 हैक्टर है। स्थिति स्पष्ट करें।	जिला कलक्टर, बीकानेर द्वारा जारी संशोधित एफआरए सर्टिफिकेट प्रत्यावर्तित वन भूमि क्षेत्रफल 0.4185 हैक्टर का संशोधित आदेश संलग्न कर दिया गया है।
3.	कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर की अध्यक्षता में उपखण्ड स्तरीय समिति द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के लिए जारी एफआरए प्रक्रिया में बैठक कार्यवाही विवरण दिनांक 06.09.2022 अपूर्ण प्रतीत होता है।	जिला कलक्टर, बीकानेर द्वारा जारी संशोधित एफआरए सर्टिफिकेट मय एफआरए प्रक्रिया में बैठक कार्यवाही विवरण पूर्ण संलग्न कर दिया गया है। संशोधित आदेश संलग्न है।
4.	वचनबद्धता प्रमाणपत्र एनेक्सर-11 में वर्णित भाषा, सैद्धान्तिक स्वीकृति के बिन्दु संख्या 11 के अनुरूप की जावें।	संशोधित कर दिया गया है।
5.	अनुपालना रिपोर्ट उप वन संरक्षक द्वारा प्रति-हस्ताक्षरित नहीं है।	कार्यालय उप वन संरक्षक वन्यजीव, बीकानेर से सम्बन्धित है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

हस्ताक्षर  
For Telesonic Networks Limited  
Authorised Signatory

सेवामें,

श्रीमान उप वन संरक्षक,  
वन्यजीव, बीकानेर

विषय :- Diversion of 0.4185 hectare forest land for Laying of OFC CABLE BLOWING WORK FOR TELESONIC CONNECTIVITY from Forest Naka, near Camel Farm, Kotri Road to Surdhana in Bikaner of total length 9000 mtr. Proposal No. FP/RJ/OFC/149705/2021 की पालना रिपोर्ट प्रेषित करने बाबत।

संदर्भ :- राजस्थान सरकार वन विभाग के पत्रांक: प. 1(56) वन/2022 जयपुर, दिनांक 01 JUN 2022

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में निवेदन है कि टेलीसोनिक नेटवर्क्स लिमिटेड, जयपुर के पक्ष में आलौच्य प्रकरण में जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति बिना वृक्षों के पातन सहित बिन्दुवार पालना रिपोर्ट निम्नानुसार प्रेषित है:-

क्र. सं.	शर्त	पालना
1.	वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।	वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जावेगा। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
2.	प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा।	प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
3.	याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेगें।	याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेगें। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
4.	प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले वृक्षों को वन विभाग की बिना पुर्वानुमति के नहीं काटा जावे। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड परिपक्व होने पर, वन विभाग के होंगें।	प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले वृक्षों को वन विभाग की बिना पुर्वानुमति के नहीं काटा जावे। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड परिपक्व होने पर, वन विभाग के होंगें। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
5.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
6.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसाई गैस/केरोसिन तेल आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसाई गैस/केरोसिन तेल आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
7.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस-पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस-पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
8.	प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
9.	प्रयोक्ता अभिकरण, सैद्धान्तिक स्वीकृति की पालना के साथ एफ. आर.ए. सर्टिफिकेट प्रस्तुत करावेगा। तदोपरान्त ही विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।	एफ.आर.ए. सर्टिफिकेट पालना रिपोर्ट के साथ संलग्न है।
10.	राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा	राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार

	किया जा सकेगा।	द्वारा किया जा सकेगा। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
11.	भारत सरकार के पत्रांक 7-23/2012/एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जावें तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूजर एजेंसी हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक-एक समाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित करावें एवं जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।	भारत सरकार के पत्रांक 7-23/2012/एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जावें तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूजर एजेंसी हिन्दी समाचार पत्र- दैनिक युग पक्ष एवं अंग्रेजी समाचार पत्र - The Indian Express में प्रकाशित होने वाले एक-एक समाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित करवा दिया है। समाचार पत्र की फोटो प्रतियां संलग्न है। जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को उपलब्ध करवा दी गई है। पालना रिपोर्ट के साथ समाचार पत्रों की प्रतियां संलग्न है।

**Place: Jaipur**

Name: *Sanjay Chourasiya*  
Office Seal & Signature:  
Designation: *Sr. Manager*  
For Telesonic Networks Limited  
*[Signature]*  
Authorised Signatory

Condition No. 01

**Full title of the Project:** Diversion of 0.4185 Ha. of forest land in favour of TELESONIC NETWORKS LIMITED FOR Laying of OFC CABLE BLOWING WORK FOR TELESONIC CONNECTIVITY from Forest Naka, Near Camel Farm, Kotri Road to Surdhana in Bikaner of Total length 9000 mtr.

**Proposal No.** : FP/RJ/OFC/149705/2021

**Date of Proposal :** 17-12-2021


**Diversion Area:** 0.4185 Ha.


**UNDERTAKING**

प्रमाणित किया जाता है कि टेलीसोनिक नेटवर्क्स लिमिटेड, जयपुर द्वारा Diversion of 0.4185 Ha. of forest land in favour of TELESONIC NETWORKS LIMITED FOR Laying of OFC CABLE BLOWING WORK FOR TELESONIC CONNECTIVITY from Forest Naka, Near Camel Farm, Kotri Road to Surdhana in Bikaner of Total length 9000 mtr. के दौरान वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जावेगा। इस हेतु कम्पनी वचनबद्ध है।

**Place:** Jaipur

प्रमाणित किया जाता है कि टेलीसोनिक नेटवर्क्स लिमिटेड, जयपुर द्वारा Diversion of 0.4185 Ha. of forest land in favour of TELESONIC NETWORKS LIMITED FOR Laying of OFC CABLE BLOWING WORK FOR TELESONIC CONNECTIVITY from Forest Naka, Near Camel Farm, Kotri Road to Surdhana in Bikaner of Total length 9000 mtr. के दौरान वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जावेगा। इस हेतु कम्पनी वचनबद्ध है।  
Place: Jaipur

उप वन संरक्षक  
जय जीव  
बिकानेर (राज.)  
C.S.  


Name: Sanjay Chouraniya  
Office Seal & Signature: Sr. Manager  
Designation: Sr. Manager  
  
Authorised Signatory



Condition No. 02

**Full title of the Project:** Diversion of 0.4185 Ha. of forest land in favour of TELESONIC NETWORKS LIMITED FOR Laying of OFC CABLE BLOWING WORK FOR TELESONIC CONNECTIVITY from Forest Naka, Near Camel Farm, Kotri Road to Surdhana in Bikaner of Total length 9000 mtr.

**Proposal No.** : FP/RJ/OFC/149705/2021

**Date of Proposal :** 17-12-2021

**Diversion Area:** 0.4185 Ha.

### UNDERTAKING


प्रमाणित किया जाता है कि टेलीसोनिक नेटवर्क्स लिमिटेड, जयपुर द्वारा Diversion of 0.4185 Ha. of forest land in favour of TELESONIC NETWORKS LIMITED FOR Laying of OFC CABLE BLOWING WORK FOR TELESONIC CONNECTIVITY from Forest Naka, Near Camel Farm, Kotri Road to Surdhana in Bikaner of Total length 9000 mtr. के दौरान प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा। इस हेतु कम्पनी वचनबद्ध है।


**Place:** Jaipur

Name:

Office Seal & Signature:

Designation:

For Telesonic Networks Limited  
  
Authorised Signatory

  
उप वन संरक्षक  
वन्य जीव  
बीकानेर (राज.)

Condition No. 03

**Full title of the Project:** Diversion of 0.4185 Ha. of forest land in favour of TELESONIC NETWORKS LIMITED FOR Laying of OFC CABLE BLOWING WORK FOR TELESONIC CONNECTIVITY from Forest Naka, Near Camel Farm, Kotri Road to Surdhana in Bikaner of Total length 9000 mtr.

**Proposal No.** : FP/RJ/OFC/149705/2021

**Date of Proposal :** 17-12-2021

**Diversion Area:** 0.4185 Ha.

### UNDERTAKING

प्रमाणित किया जाता है कि टेलीसोनिक नेटवर्क्स लिमिटेड, जयपुरद्वारा **Diversion of 0.4185 Ha. of forest land in favour of TELESONIC NETWORKS LIMITED FOR Laying of OFC CABLE BLOWING WORK FOR TELESONIC CONNECTIVITY from Forest Naka, Near Camel Farm, Kotri Road to Surdhana in Bikaner of Total length 9000 mtr.** के दौरान याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे। इस हेतु कम्पनी वचनबद्ध है।

**Place: Jaipur**


**Name:**

**Office Seal & Signature:**

**Designation:**

For Telesonic Networks Limited

Authorised Signatory



Condition No. 04

**Full title of the Project:** Diversion of 0.4185 Ha. of forest land in favour of TELESONIC NETWORKS LIMITED FOR Laying of OFC CABLE BLOWING WORK FOR TELESONIC CONNECTIVITY from Forest Naka, Near Camel Farm, Kotri Road to Surdhana in Bikaner of Total length 9000 mtr.

**Proposal No.** : FP/RJ/OFC/149705/2021

**Date of Proposal :** 17-12-2021

**Diversion Area:** 0.4185 Ha.

### UNDERTAKING

प्रमाणित किया जाता है कि टेलीसोनिक नेटवर्क्स लिमिटेड, जयपुरद्वारा Diversion of 0.4185 Ha. of forest land in favour of TELESONIC NETWORKS LIMITED FOR Laying of OFC CABLE BLOWING WORK FOR TELESONIC CONNECTIVITY from Forest Naka, Near Camel Farm, Kotri Road to Surdhana in Bikaner of Total length 9000 mtr. के दौरान प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले वृक्षों को वन विभाग की बिना पूर्वानुमति के नहीं काटा जावे। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड परिपक्व होने पर, वन विभाग के होंगे। इस हेतु कम्पनी वचनबद्ध है।

**Place:** Jaipur

**Name:**

**Office Seal & Signature:**

**Designation:**

C. S.  
For Telesonic Networks Limited  
Authorised Signatory  
उप वन संरक्षक  
वन्य जीव  
बीकानेर (राज.)

**Place:** Jaipur

Condition No. 05

**Full title of the Project:** Diversion of 0.4185 Ha. of forest land in favour of TELESONIC NETWORKS LIMITED FOR Laying of OFC CABLE BLOWING WORK FOR TELESONIC CONNECTIVITY from Forest Naka, Near Camel Farm, Kotri Road to Surdhana in Bikaner of Total length 9000 mtr.

**Proposal No.** : FP/RJ/OFC/149705/2021

**Date of Proposal :** 17-12-2021

**Diversion Area:** 0.4185 Ha.

### UNDERTAKING

प्रमाणित किया जाता है कि टेलीसोनिक नेटवर्क्स लिमिटेड, जयपुरद्वारा Diversion of 0.4185 Ha. of forest land in favour of TELESONIC NETWORKS LIMITED FOR Laying of OFC CABLE BLOWING WORK FOR TELESONIC CONNECTIVITY from Forest Naka, Near Camel Farm, Kotri Road to Surdhana in Bikaner of Total length 9000 mtr. के दौरान प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा। इस हेतु कम्पनी वचनबद्ध है।

**Place:** Jaipur

**Name:**

**Office Seal & Signature:**

**Designation:**

For Telesonic Networks Limited

Authorised Signatory

उप वन संरक्षक  
वन्य जीव  
बीकानेर (राज.)

Condition No. 06

**Full title of the Project:** Diversion of 0.4185 Ha. of forest land in favour of TELESONIC NETWORKS LIMITED FOR Laying of OFC CABLE BLOWING WORK FOR TELESONIC CONNECTIVITY from Forest Naka, Near Camel Farm, Kotri Road to Surdhana in Bikaner of Total length 9000 mtr.

**Proposal No.** : FP/RJ/OFC/149705/2021

**Date of Proposal :** 17-12-2021

**Diversion Area:** 0.4185 Ha.

### UNDERTAKING

प्रमाणित किया जाता है कि टेलीसोनिक नेटवर्क्स लिमिटेडे, जयपुरद्वारा Diversion of 0.4185 Ha. of forest land in favour of TELESONIC NETWORKS LIMITED FOR Laying of OFC CABLE BLOWING WORK FOR TELESONIC CONNECTIVITY from Forest Naka, Near Camel Farm, Kotri Road to Surdhana in Bikaner of Total length 9000 mtr. के दौरान प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसाई गैस/केरोसिन तेल आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो। इस हेतु कम्पनी वचनबद्ध है।

**Place: Jaipur**

**Name:**

**Office Seal & Signature:**

**Designation:** Tele Sonic Networks Limited

Authorised Signatory

उप वन संरक्षक  
वन्य जीव  
बीकानेर (राज.)

Condition No.07

**Full title of the Project:** Diversion of 0.4185 Ha. of forest land in favour of TELESONIC NETWORKS LIMITED FOR Laying of OFC CABLE BLOWING WORK FOR TELESONIC CONNECTIVITY from Forest Naka, Near Camel Farm, Kotri Road to Surdhana in Bikaner of Total length 9000 mtr.

**Proposal No.** : FP/RJ/OFC/149705/2021

**Date of Proposal :** 17-12-2021

**Diversion Area:** 0.4185 Ha.

### UNDERTAKING

प्रमाणित किया जाता है कि टेलीसोनिक नेटवर्क्स लिमिटेडे, जयपुर द्वारा Diversion of 0.4185 Ha. of forest land in favour of TELESONIC NETWORKS LIMITED FOR Laying of OFC CABLE BLOWING WORK FOR TELESONIC CONNECTIVITY from Forest Naka, Near Camel Farm, Kotri Road to Surdhana in Bikaner of Total length 9000 mtr. के दौरान प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस-पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा। इस हेतु कम्पनी वचनबद्ध है।

**Place:** Jaipur

Name:

Office Seal & Signature:

Designation:

For Telesonic Networks Limited

Authorised Signatory

उप वन संरक्षक  
वन्य जीव  
बीकानेर (राज.)

Condition No.08

**Full title of the Project:** Diversion of 0.4185 Ha. of forest land in favour of TELESONIC NETWORKS LIMITED FOR Laying of OFC CABLE BLOWING WORK FOR TELESONIC CONNECTIVITY from Forest Naka, Near Camel Farm, Kotri Road to Surdhana in Bikaner of Total length 9000 mtr.

**Proposal No.** : FP/RJ/OFC/149705/2021

**Date of Proposal :** 17-12-2021

**Diversion Area:** 0.4185 Ha.

### UNDERTAKING

प्रमाणित किया जाता है कि टेलीसोनिक नेटवर्क्स लिमिटेड, जयपुर द्वारा Diversion of 0.4185 Ha. of forest land in favour of TELESONIC NETWORKS LIMITED FOR Laying of OFC CABLE BLOWING WORK FOR TELESONIC CONNECTIVITY from Forest Naka, Near Camel Farm, Kotri Road to Surdhana in Bikaner of Total length 9000 mtr. के दौरान वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन किया जायेगा, इस हेतु कम्पनी वचनबद्ध है।

**Place:** Jaipur

**Name:**

**Office Seal & Signature:**

**Designation:**

For Telesonic Networks Limited

Authorised Signatory

उप वन संरक्षक  
वन्य जीव  
बीकानेर (राज.)

Condition No. 09

**Full title of the Project:** Diversion of 0.4185 Ha. of forest land in favour of TELESONIC NETWORKS LIMITED FOR Laying of OFC CABLE BLOWING WORK FOR TELESONIC CONNECTIVITY from Forest Naka, Near Camel Farm, Kotri Road to Surdhana in Bikaner of Total length 9000 mtr.

**Proposal No.** : FP/RJ/OFC/149705/2021

**Date of Proposal :** 17-12-2021

**Diversion Area:** 0.4185 Ha.

## UNDERTAKING

प्रमाणित किया जाता है कि टेलीसोनिक नेटवर्क्स लिमिटेड, जयपुर द्वारा Diversion of 0.4185 Ha. of forest land in favour of TELESONIC NETWORKS LIMITED FOR Laying of OFC CABLE BLOWING WORK FOR TELESONIC CONNECTIVITY from Forest Naka, Near Camel Farm, Kotri Road to Surdhana in Bikaner of Total length 9000 mtr. हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति की पालना के साथ एफ. आर.ए. सर्टिफिकेट संलग्न कर प्रस्तुत है। इस हेतु कम्पनी वचनबद्ध है।

**Place:** Jaipur

Name:

Office Seal & Signature:

Designation:

For Telesonic Networks Limited

Authorised Signatory

C.S.

उप वन संरक्षक  
वन्य जीव  
बीकानेर (राज.)



**Full title of the Project:** Diversion of 0.4185 Ha. of forest land in favour of TELESONIC NETWORKS LIMITED FOR Laying of OFC CABLE BLOWING WORK FOR TELESONIC CONNECTIVITY from Forest Naka, Near Camel Farm, Kotri Road to Surdhana in Bikaner of Total length 9000 mtr.

**Proposal No.** : FP/RJ/OFC/149705/2021

**Date of Proposal :** 17-12-2021

**Diversion Area:** 0.4185 Ha.

### UNDERTAKING

प्रमाणित किया जाता है कि टेलीसोनिक नेटवर्क्स लिमिटेडे, जयपुर द्वारा वचन दिया जाता है कि राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा, इस हेतु कम्पनी वचनबद्ध है।

**Place:** Jaipur

**Name:**

**Office Seal & Signature:**

**Designation:**

For Telesonic Networks Limited

Authorised Signatory

उप वन संरक्षक  
वन्य जीव  
बीकानेर (राज.)

**Condition No. 11**

**Full title of the Project:** Diversion of 0.4185 Ha. of forest land in favour of TELESONIC NETWORKS LIMITED FOR Laying of OFC CABLE BLOWING WORK FOR TELESONIC CONNECTIVITY from Forest Naka, Near Camel Farm, Kotri Road to Surdhana in Bikaner of Total length 9000 mtr.

**Proposal No.** : FP/RJ/OFC/149705/2021

**Date of Proposal :** 17-12-2021

**Diversion Area:** 0.4185 Ha.

**UNDERTAKING**

प्रमाणित किया जाता है कि टेलीसोनिक नेटवर्क्स लिमिटेडे, जयपुर द्वारा वचन दिया जाता है कि **Diversion of 0.4185 Ha. of forest land in favour of TELESONIC NETWORKS LIMITED FOR Laying of OFC CABLE BLOWING WORK FOR TELESONIC CONNECTIVITY from Forest Naka, Near Camel Farm, Kotri Road to Surdhana in Bikaner of Total length 9000 mtr.** प्रकरण में भारत सरकार के पत्रांक 7-23/2012/एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जावेगी। सैद्धान्तिक स्वीकृति को यूजर एजेंसी द्वारा हिन्दी समाचार पत्र- दैनिक युग पक्ष एवं अंग्रेजी समाचार पत्र - **The Indian Express** में प्रकाशित होने वाले एक-एक समाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित करवा दिया है। समाचार पत्रों की फोटो प्रतियां संलग्न हैं। जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को उपलब्ध करवा दी गई हैं। पालना रिपोर्ट के साथ समाचार पत्रों की प्रतियां संलग्न हैं। इस हेतु कम्पनी वचनबद्ध है।

**Place: Jaipur**

  
उप वन संरक्षक  
वन्य जीव  
बीकानेर (राज.)

**Name:**  
**Office Seal & Signature:**  
**Designation:**  
For Telesonic Networks Limited  
Authorised Signatory

FORM-I

(for linear projects)

Government of Rajasthan

**Office of the District Collector, Bikaner**

No. F.8-1( ) Revenue/Forest/Diversion/14/ 1505

Dated- 13/3/23

**TO WHOSOEVER IT MAY CONCERN**

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC (pt) dated 3<sup>rd</sup> August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA' for short ) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5<sup>th</sup> February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **0.4185 hectares** of forest land proposed to be diverted in favour of **Layaing Optical Fiber Cable at Location near Camel Farm, Kotri Road to Surdhana, Khasara No.-101, 123 and 78, with Land Area 10.01, 9.33 and 10.44 respectively in Tehsil and District-Bikaner (Rajasthan)** falls within jurisdiction of **Bikaner**.

It is further **Revised** certified that:

- the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **0.4185 hectares** of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure A to annexure C
- the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it;
- the proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl: AS above


  
(Bhagwati Prasad)  
District Collector, Bikaner

No. F.8-1( ) Revenue/Forest/Diversion/14/  
Copy forwarded to :

- DFO (Territorial), Bikaner
- DFO (Stage-II), Bikaner

Dated-

1  
Add. District Collector  
(Adm.), Bikaner

  
उप वन संरक्षक  
वन्य जीव  
बीकानेर (राज.)

## कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर

क्रमांक:एसडीओ/बीका/2023/

दिनांक-19.01.2023

## बैठक का कार्यवाही विवरण में रकबा संशोधन आदेश

पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र सं. 8बी/राज/06/19/2015/एफ.री/201 दिनांक 2.6.2015 एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (अनुभाग-3) राज. जयपुर की आज्ञा क्रमांक: प.6(14)प्रसु/अनु-3/2008(1) दिनांक 14.3.2008 द्वारा अनुसूचित जन जाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अनिधनियम 2006 एवं नियम 2008 द्वारा गठित उपखण्ड स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 06.09.2022 को प्रातः 3.00 बजे अधोहस्ताक्षरकर्ता की अध्यक्षता में कार्यालय कक्ष में सम्पन्न हुई। बैठक में गठित उपखण्ड स्तरीय समिति के अधिकारीगण एवं सदस्यगण उपस्थित हुए।

बैठक में अनुसूचित जाति एवं जन जाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अनिधनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत निम्नांकित कुल 3 प्रकरण बैठक में विचारार्थ रखे गये थे जिसमें से एक प्रकरण वन भूमि प्रत्यावर्तन वास्ते 0.4815 HECTARE FOREST LAND FOR LAYING OPTICAL CABLE AT Location near Camel Farm, Kotri Read to Surdhna] Khasra No- 101, 123 and 78, with Land Area 10-01, 9.33 and 10.44 respectively, in District Bikaner ओएफसी ऑप्टिकल केबल बिछाने के लिये सम्बन्धित विभाग द्वारा संबंधित खातेदार/काश्तकार की पूर्व सहमति प्राप्त करने की शर्त के आधार पर रक्षित वन क्षेत्र में सम्बन्धित विभाग द्वारा अनुसूचित जन जाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के तहत अनापति प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु अभिशंषा की गई थी, परन्तु आप श्रीमान्जी के समक्ष प्रार्थी कम्पनी द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर रकबा 0.4815 हैक्ट. के स्थान पर 0.4185 हैक्ट.टाईपिंग मिस्टेक से होने पर सही करने हेतु निवेदन किये जाने पर आपके पत्रांक एफ.8-1( )राजस्व/वन/प्रत्या./2022/289 दिनांक 16.01.2023 की पालना में रिकॉर्ड/प्रस्ताव का अवलोकन किया गया जिसमें रकबा 0.4185 हैक्ट. पाया गया।

अतः उक्त अभिशंषा में रकबा 0.4815 के स्थान पर 0.4185 हैक्ट. पढा जावे तथा अभिशंषा की शेष शर्तें यथावत रहेगी।

-EO-

(अशोक कुमार)

उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर

क्रमांक:एसडीओ/बीका/2023/ 33

दिनांक-19.01.2023

प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. जिला कलक्टर महोदय, बीकानेर
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदय, जिला परिषद, बीकानेर

(अशोक कुमार)

उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर

कार्यालय जिला कलक्टर, बीकानेर


क्रमांक : एफ.8-1( )राजस्व/वन/प्रत्या./14/

दिनांक :

बैठक का संशोधित कार्यवाही विवरण

पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र सं. 8बी/राज/06/19/2015/एफ.री/201 दिनांक 2.6.2015 एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (अनुभाग-3) राज. जयपुर की आज्ञा क्रमांक: प.6(14)प्रसु/अनु-3/2008 (1) दिनांक 14.3.2008 द्वारा अनुसूचित जन जाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 द्वारा गठित जिला स्तरीय समिति की आयोजित बैठक दिनांक 24.11.2022 के कार्यवाही विवरण समसंख्यक पत्रांक 7790-93 दिनांक 24.11.2022 के संबंध में उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर के पत्र संख्या 33 दिनांक 19.01.2023 से प्राप्त संशोधित कार्यवाही विवरण अनुसार इस कार्यालय द्वारा दिनांक 24.11.2022 को जारी कार्यवाही विवरण में रकबा 0.4815 हैक्टेयर के स्थान पर 0.4185 हैक्टेयर संशोधित किया जाता है।


शेष प्रविष्टिया यथावत रहेगी।

  
(ओमप्रकाश)  
अति० जिला कलक्टर  
(प्रशासन), बीकानेर

क्रमांक : एफ.8-1( )राजस्व/वन/प्रत्या./14/ 1502-04  
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

दिनांक : 13/3/23

1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, बीकानेर ।
2. उप वन संरक्षक, बीकानेर ।
3. Telesonic Network Limited, Bharti Crescent, 1, Nelson Mandela Road, Vasant unj, New Delhi-110070 ।

  
अति० जिला कलक्टर  
(प्रशासन), बीकानेर

# कार्यालय ग्राम पंचायत गाढ़वाला

(पंचायत समिति, बीकानेर)

जिला - बीकानेर (राजस्थान)

श्रीमती सुमन देवी सारण  
(सरपंच)



फोन : 9414426586


क्रमांक : गा.पं.गा./...581/02


दिनांक : 25.07.2022

प्रमाण - पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि कार्यालय उप वन  
संरक्षक, वन्य जीव, बीकानेर के पत्रांक : - एक (1) सर्वे/उद्यमसजी/  
2022/1439 दिनांक 24.06.2022 के संबंध में जोड़बीड़ गाढ़वाला  
कंजखेशन रिजर्व, जिला - बीकानेर में निकाली जा रही OFC केबल  
के लिये 0.4185 हेक्टेयर वनभूमि के प्रत्यार्पण हेतु वैधानिक  
स्वीकृति बिना वृक्षों के पतन सहित सर्वशर्त प्रदान करने पर  
विचार किया गया है।  
1. गाढ़वाला से जोड़बीड़/कोटड़ी की ओर प्रेबल सड़क  
जीर्णोद्धार कार्य की अनुमति  
2. OFC केबल से ग्राम कोटड़ी/जोड़बीड़ में सरकारी संस्था  
को कनेक्शन देना।

उक्त शर्तें पूरी करने के पश्चात  
Telesonic Networks Limited R-21 Sunny House  
malviya marg, C-scheme Jaipur Rajasthan 302001  
को OFC केबल बिछाने की अनुमति गा.पं. गाढ़वाला  
द्वारा दी जावेगी।

  
ग्राम विकास अधिकारी  
ग्राम पंचायत गाढ़वाला  
पंचायत समिति, बीकानेर

  
सुमन देवी  
सरपंच  
ग्राम पंचायत गाढ़वाला  
पंचायत समिति, बीकानेर

For Telesonic Networks Limited

Authorised Signatory

Scanned with CamScanner

FORM-I

(for linear projects)

Government of Rajasthan

**Office of the District Collector, Bikaner**

No. F.8-1( ) Revenue/Forest/Diversion/14/ 8112

Dated- 6/12/22

**TO WHOSOEVER IT MAY CONCERN**

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC (pt) dated 3<sup>rd</sup> August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA' for short ) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5<sup>th</sup> February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **0.4815 hectares** of forest land proposed to be diverted in favour of **Layaing Optical Fiber Cable at Location near Camel Farm, Kotri Road to Surdhana, Khasara No.-101, 123 and 78, with Land Area 10.01, 9.33 and 10.44 respectively in Tehsil and District-Bikaner (Rajasthan)** falls within jurisdiction of Bikaner.

It is further certified that:

- (a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **0.4815 hectares** of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure A to annexure C
- (b) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it;
- (c) the proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl: AS above

  
(Bhagwati Prasad)  
District Collector, Bikaner

No. F.8-1( ) Revenue/Forest/Diversion/14/

Dated-

Copy forwarded to :

1. DFO (Territorial), Bikaner
2. DFO (Stage-II), Bikaner

1  
Add. District Collector  
(Adm.), Bikaner

## कार्यालय ग्राम पंचायत गाढ़वाला

(पंचायत समिति, बीकानेर)

जिला - बीकानेर (राजस्थान)

सुमन देवी सारण  
(सरपंच)

मो. : 9414426686

क्रमांक : ग्रा.पं.गा./...sp102

दिनांक... 25.07.2022

अनापत्ति प्रमाण - पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि कार्यालय उप वन संरक्षक, वन्यजीव बीकानेर के पत्रांक :- एक (1) सर्वे/उवसवजी/2022/1439 दिनांक 24.06.2022 के संबंध में जोड़बीड़ गाढ़वाला कंजारेवेशन रिजर्व, जिला - बीकानेर में निकाली जा रही OFC केबल के लिये 0.4185 हेक्टर वनभूमि के प्रत्याखिन हेतु वैधानिक स्वीकृति बिना वृक्षों के पातन सहित शर्त प्रदान करने पर ग्रां. पं. द्वारा OFC केबल बिना की अनुमति प्रदान की जाती है, उक्त प्रस्ताव का ग्रां. समीप प्राधिकार समिति से अनुमोदन किया गया है।

ग्राम विकास अधिकारी  
ग्राम पंचायत गाढ़वाला  
पंचायत समिति, बीकानेर

सुमन  
सरपंच  
ग्राम पंचायत गाढ़वाला  
पंचायत समिति, बीकानेर

For- Telesonic Networks Limited

Authorised Signatory



## कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर

दिनांक-06.09.2022

क्रमांक:एसडीओ/बीका/2022/

## बैठक का कार्यवाही विवरण

पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र सं. 8बी/राज/06/19/2015/एफ.री/201 दिनांक 2.6.2015 एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (अनुभाग-3) राज. जयपुर की आज्ञा क्रमांक: प.6(14)प्रसु/अनु-3/2008(1) दिनांक 14.3.2008 द्वारा अनुसूचित जन जाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अनिधनियम 2006 एवं नियम 2008 द्वारा गठित उपखण्ड स्तरीय समिति की बैठक आज दिनांक 06.09.2022 को प्रातः 3.00 बजे अधोहस्ताक्षरकर्ता की अध्यक्षता में कार्यालय कक्ष में सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित अधिकारीगण एवं सदस्यगण उपस्थित हुए :-

1. श्री सम्पत गोदारा, विकास अधिकारी, पंचायत समिति, बीकानेर
2. श्री हनुमन्तसिंह, क्षेत्रीय वन अधिकारी, बीकानेर (उत्तर) 9460895759
3. श्री सुभाष राम, सदस्य, पंचायत समिति, बीकानेर
4. श्री अर्जुनराम, सदस्य, पंचायत समिति, बीकानेर
5. श्रीमति मानीदेवी, सदस्य, पंचायत समिति, बीकानेर

बैठक में अनुसूचित जाति एवं जन जाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अनिधनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत निम्नांकित प्रकरण बैठक में विचारार्थ रखे गये :-

1 वन भूमि प्रत्यावर्तन वास्ते 0.4815 HECTARE FOREST LAND FOR LAYING OPTICAL CABLE AT Location near Camel Farm, Kotri Read to Surdhna] Khasra No- 101, 123 and 78, with Land Area 10-01, 9.33 and 10.44 respectively, in District Bikaner

उक्त वन भूमि प्रत्यावर्तन वास्ते 0.4815 HECTARE FOREST LAND FOR LAYING OPTICAL CABLE AT Location near Camel Farm, Kotri Read to Surdhna] Khasra No- 101, 123 and 78, with Land Area 10-01, 9.33 and 10.44 respectively, in District Bikaner ओएफसी ऑप्टिकल केबल बिछाने वाली भूमि क विवरण निम्नानुसार है :-

अनुसूचित जाति एवं जन जाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा 3 (1) के अन्तर्गत एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उक्त प्रस्तावित वन भूमि पर कोई दावे लम्बित नहीं है। अतः बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों ने उक्त भूमि पर कोई दावा लम्बित नहीं होने के कारण अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2008 के अन्तर्गत वन क्षेत्र में पड़ने वाली भूमि के लिये उक्त वर्णित 0.4815 हैक्टेयर फोरेस्ट भूमि पर ओएफसी ऑप्टिकल केबल बिछाने के लिये सर्वसम्मति से नियमानुसार अनुशंसा की है।

अतः उक्त प्रस्तावित भूमि पर ओएफसी ऑप्टिकल केबल बिछाने के लिये सम्बन्धित विभाग द्वारा संबंधित खातेदार/काश्तकार की पूर्व सहमति प्राप्त करने की शर्त के आधार पर रक्षित वन क्षेत्र में सम्बन्धित विभाग द्वारा अनुसूचित जन जाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के तहत अनापति प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु अभिशंसा की जाती है।


For- Telesonic Networks Limited


  
 Authorised Signatory


2 वन भूमि प्रत्यावर्तन वास्ते- पॉवर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि. Construction of Bikaner-ii PS Khetri 400 kv 2xD/c line (Twin HTLS on M/c Tower), District-Bikaner. Area 1.7860 Hec प्रस्तावित रक्षित वन भूमि प्रत्यावर्तन की स्वीकृति हेतु निर्धारित प्रमाण-पत्र जारी किया जाना है। जो ग्राम धोलेरा, खारा एवं डाण्डूसर में है-


3 वन भूमि प्रत्यावर्तन वास्ते- PROPOSAL FOR 0.8142 HECTARE FOREST LAND FOR CONSTRUCTIO OF 400 KV D/C QUAD BIKANER (PG) TO BIKANER 11(P.S) TRANSMISSIONLINE प्रस्तावित रक्षित वन भूमि प्रत्यावर्तन की स्वीकृति हेतु निर्धारित प्रमाण-पत्र जारी किया जाना है। जो ग्राम धोलेरा एवं जयमलसर में है

अतः उक्त प्रस्ताव संख्या-1 भूमि पर ओएफसी ऑप्टिकल केबल बिछाने के लिये सम्बन्धित विभाग द्वारा संबंधित खातेदार/काश्तकार की पूर्व सहमति प्राप्त करने की शर्त के आधार पर रक्षित वन क्षेत्र में सम्बन्धित विभाग द्वारा अनुसूचित जन जाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मा-यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के तहत अनापति प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु अभिशंषा की जाती है एवं शेष प्रस्ताव संख्या 2 व 3 में ग्राम रतरीय वनाधिकार समिति, पेमासर द्वारा अनुमोदन नहीं होने के कारण वास्ते अनुमोदन संबंधित विकास अधिकारी/ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, बीकानेर को लिखा गया है। ग्राम रतरीय वनाधिकार समिति, द्वारा अनुमोदन होने के बाद उक्त प्रस्ताव पर आगामी बैठक में नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।


  
सुभाष राम,  
सदस्य, पंचायत समिति,  
बीकानेर

  
अर्जुनराम,  
सदस्य, पंचायत समिति, बीकानेर

  
विकास अधिकारी,  
पंचायत समिति, बीकानेर

  
क्षेत्रीय वन अधिकारी,  
बीकानेर  
(उत्तर)

  
उपखण्ड अधिकारी,  
बीकानेर

  
सदस्य पंचायत समिति,  
बीकानेर



— ह ० —  
(अशोक कुमार)  
उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर

क्रमांक:एसडीओ/बीका/2022/709


दिनांक 06.09.2022

प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. जिला कलक्टर महोदय, बीकानेर
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदय, जिला परिषद, बीकानेर

  
(अशोक कुमार)  
उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर

For- Telesonic Networks Limited

  
Authorised Signatory



## कार्यालय जिला कलक्टर, बीकानेर

क्रमांक : एफ.8-1( )राजस्व/वन/प्रत्या./14/ 7790

दिनांक : 24/11/22

### बैठक का कार्यवाही विवरण

पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र सं. 8बी/राज/06/19/2015/एफ.री/201 दिनांक 2.6.2015 एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (अनुभाग-3) राज. जयपुर की आज्ञा क्रमांक: प.6(14)प्रसु/अनु-3/2008 (1) दिनांक 14.3.2008 द्वारा अनुसूचित जन जाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 द्वारा गठित जिला स्तरीय समिति की बैठक आज दिनांक 24.11.2022 को प्रातः 11:00 बजे अधोहस्ताक्षरकर्ता की अध्यक्षता में कार्यालय के सभाकक्ष में सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित अधिकारीगण एवं सदस्यगण उपस्थित हुए :-

1. नित्या के., मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, बीकानेर	सदस्य
2. श्री ओमप्रकाश, अति० जिला कलक्टर (प्रशासन), बीकानेर	प्र०अधिकारी राजस्व शाखा
3. श्री कपिल चौधरी, सहायक वन संरक्षक, बीकानेर	सदस्य
4. श्री रामधन, जिला परिषद सदस्य	सदस्य
5. श्री मदनलाल, जिला परिषद सदस्य	सदस्य
6. श्रीमति हेमा, जिला परिषद सदस्य	सदस्य

बैठक में अनुसूचित जन जाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत निम्नांकित प्रकरण विचारार्थ रखा गया :-

- वन भूमि प्रत्यावर्तन वास्ते-0.4815 Ha. Forest Land for "Laying Optical Fiber Cable at Location near Camel Farm, Kotri Road to Surdhana, Khasara No. 101, 123 and 78, with Land Area 10.01, 9.33 and 10.44 respectively, in the District Bikaner


उक्त प्रकरण में उपर्युक्त प्रयोजनार्थ उपखण्ड स्तरीय समिति द्वारा अनुमोदन किया जा चुका है।


अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पराम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा 3 (1) के अन्तर्गत एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उक्त प्रस्तावित वन भूमि पर कोई दावे लम्बित नहीं है। अतः बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों द्वारा उक्त भूमि पर कोई दावा लम्बित नहीं होने के कारण अनुसूचित जन जाति एवं अन्य पराम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2008 के अन्तर्गत वन क्षेत्र में पड़ने वाली उपर्युक्त प्रकरणों की भूमि पर सर्वसम्मति से सहमति व्यक्त की गई।


For- Telesonic Networks Limited


*hitender*  
Authorised Signatory

अतः उक्त प्रकरण में अनुसूचित जन जाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के तहत अनापति प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु सर्वसम्मति से अभिशंभा की जाती है।

  
नित्या के.  
मुख्य कार्यकारी अधिकारी  
जिला परिषद, बीकानेर

  
भगवती प्रसाद  
जिला कलक्टर  
बीकानेर


  
ओमप्रकाश  
अति० जिला कलक्टर  
(प्रशासन), बीकानेर

  
कपिल चौधरी  
सहायक वन संरक्षक  
बीकानेर

क्रमांक : एफ.8-1( )राजस्व/वन/प्रत्या./14/ 7791-83  
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

दिनांक : 24/11/22

1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, बीकानेर ।
2. उप वन संरक्षक, बीकानेर ।
3. Telesonic Network Limited, Bharti Crescent, 1, Nelson Mandela Road, Vasant unj, New Delhi-110070 ।

  
जिला कलक्टर, बीकानेर

For- Telesonic Networks Limited  
  
Authorised Signatory

की मांग को लेकर ग्रामवासियों व छात्रों द्वारा कई दिनों से तालाबंदी करके विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। मंगलवार को सुबह नोखा विधायक बिश्नोई ने उच्च अधिकारियों से दूरभाष पर वार्ता करके स्थिति से अवगत करवाया और एक

जाएगा। इस दौरान प्रधानाचार्य विनात तंवर, सरपंच श्रीभगवान डेलू सहित ग्रामवासी उपस्थित रहे।

सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजित इस इण्डोनेशिया यात्रा के दौरान अनेकों द्विपक्षीय व बहुपक्षीय बैठकों में की विभिन्न प्राथमिकता सम्बोधित किया।

**राजस्थान सरकार**  
**वन विभाग**

जयपुर, दिनांक 01 जून 2022

क्रमांक : प.1 (56) वन/2022  
प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (HoFF) राजस्थान जयपुर

**विषय :- Diversion of 0.4185 ha. of forest land in favour of Telesonic Networks limited for Laying of OFC CABLE BLOWING WORK FOR TELESONIC CONNECTIVITY from Forest Naka, near Camel Farm, Kotri Road to Surdhana in Bikaner of total length 9000 mtr. (FP/RJ/OFC/149705/2021)**


संदर्भ :- आपका पत्रांक एक 14 (OFC)2021/एफसीए/प्रभुवस/1583 दिनांक 05.04.2022

महोदय,  
उपरोक्त विषयान्वित संबंधित प्रस्ताव में Telesonic Networks Limited (प्रयोका अधिकरण) द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत सामान्य स्वीकृति के तहत धारा-2 में OFC Cable line हेतु 0.4185 हेक्टर वन भूमि प्रत्यावर्तन की स्वीकृति चाही गई है। नाडल अधिकारी वन संरक्षण अधिनियम द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव पर विचारोपरान्त प्रस्ताव पर वन संरक्षक अधिनियम 1980 के अंतर्गत धारा-2 में सामान्य स्वीकृति बाबत जारी दिशा-निर्देशों एवं नवीन निर्देश दिनांक 27.07.2020 के परिप्रेक्ष्य में Diversion of 0.4185 ha. of forest land in favour of Telesonic Networks limited for laying of OFC CABLE BLOWING WORK FOR TELESONIC CONNECTIVITY from Forest Naka, near Camel Farm, Kotri Road to Surdhana in Bikaner of total length 9000 mtr. को सैद्धांतिक स्वीकृति बिना कृशों के पतन सहित निम्न शर्तों के अन्वेषण प्रदान करती है :-

1. वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
2. प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जायेगा।
3. याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्थितियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जायेंगे।
4. प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किये जाने वाले कृशों को वन विभाग को पूर्वानुमति के नहीं काटा जाये। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर, वन विभाग के होंगे।
5. प्रयोका अधिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा।
6. प्रयोका अधिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रजोई गैस/केरोसिन तेल आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो।
7. प्रयोका अधिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस-पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा।
8. प्रयोका अधिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा।
9. प्रयोका अधिकरण, सैद्धांतिक स्वीकृति को पालना के साथ एफ.आर.ए. सर्टिफिकेट प्रस्तुत करावेगा। तदोपरान्त ही विधेयित स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।
10. राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबंधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा।
11. भारत सरकार के पत्रांक 7-23/2012/एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जावे तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूजर एजेंसी हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक-एक-समाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित कराये एवं जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्त दिनांक के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(बी. प्रवीण) शासन सचिव

# वेविति ने लगाए गांवों में लम्पी उपचार हेतु पशुचिकित्सा शिविर



सीताराम गुप्ता, पशु डॉ. महेन्द्र तंवर, पशु विभाग एवं डॉ. नरे भूमिका निभाई। इसी प्रकार झालवाली गांव में क्लब, बीकानेर राजस्थान पशुचिकित्सा महाविद्यालय, बीकानेर द्वारा सामान्य पशु विशेषकर लम्पी रोग आयोजन किया गया 153 पशुओं का जिसमें गाय, बक पशु शामिल थे। लम्पी का प्रकोप एवं इस रोग की होने वाले घात आगे भी उपचार वितरित किया गया। प्रसार शिवाजी निदेशक प्रो. राजेश कुमार धूड़िया ने बताया कि यह शिविर आगामी 5 दिनों तक क्रियान्वित रहेगा जिसके तहत घर-घर जाकर पशुओं का उपचार किया जायेगा। चिकित्सा दल में डॉ. संदीप धौलपुरिया, पशु प्रसूति एवं मादा रोग विभाग, डॉ. वितरित किया गया।

बीकानेर (नस)। वेटरनरी विश्वविद्यालय के वेटरनरी क्लिनिकल कॉम्प्लेक्स द्वारा यूनिवर्सिटी सोशल रिस्पांसिबिलिटी के अंतर्गत गोद लिए गांव गाढ़वाला में मंगलवार को पशुचिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। निदेशक क्लिनिकल डॉ. प्रवीण बिश्नोई ने बताया कि शिविर के दौरान लम्पी रोग से ग्रसित 160 पशुओं का उपचार कर दवा दी गई। इसके अलावा शिविर में बांझपन, फुराव, चिंचंड संक्रमण, पाईका जैसे

## कार्यालय ग्राम पंचायत कोलासर (पंचायत समिति बीकानेर) दिनांक :-13/9/2022

क्रमांक : 74-78

### ई-बोली सूचना 05/2022-23

ग्राम पंचायत कोलासर (पंचायत समिति बीकानेर) में विभिन्न योजनान्तर्गत स्वीकृत कार्य हेतु सक्षम स्तर/राजकीय विभाग से तथा वाणिज्य कर विभाग द्वारा जीएसटी में पंजीकृत फर्मों से ई बोली प्रक्रिया दिनांक 22.09.2022 तक ई-बोली आमंत्रित की जाती है। इच्छुक संवेदक को अपने डिजिटल (DSC) हस्ताक्षर के माध्यम से वेबसाइट <http://eproc.rajasthan.gov.in> पर फर्म का रजिस्टर्ड करवाना आवश्यक है। कार्यों का विस्तृत विवरण ग्राम पंचायत कोलासर कार्यालय में एवं <http://sppp.rajasthan.gov.in>, <http://eproc.rajasthan.gov.in> पर देखा जा सकता है।

**UBN : PCQ2223WSOB00316 से 317**

सरपंच  
ग्राम विकास अधिकारी  
ग्राम पंचायत कोलासर  
पंचायत समिति बीकानेर

## कार्यालय ग्राम पंचायत उदयरामसर (पंचायत समिति बीकानेर) दिनांक :-13/09/2022

क्रमांक : 2022/118

### ई-बोली सूचना 06/2022-23

ग्राम पंचायत उदयरामसर (पंचायत समिति बीकानेर) में राज्य वित्त आयोग षष्ठम् (जिला परिषद मद) योजनान्तर्गत स्वीकृत कार्य हेतु सक्षम स्तर/राजकीय विभाग से तथा वाणिज्य कर विभाग द्वारा जीएसटी में पंजीकृत फर्मों से ई बोली प्रक्रिया दिनांक 23.09.2022 तक ई-बोली आमंत्रित की जाती है। इच्छुक संवेदक को अपने डिजिटल (DSC) हस्ताक्षर के माध्यम से वेबसाइट <http://eproc.rajasthan.gov.in> पर फर्म का रजिस्टर्ड करवाना आवश्यक है। कार्यों का विस्तृत विवरण ग्राम पंचायत उदयरामसर कार्यालय में एवं <http://sppp.rajasthan.gov.in>, <http://eproc.rajasthan.gov.in> पर देखा जा सकता है।

उपाध्यक्ष आसकरण भट्ट जिला सी बीकानेर (नस)। भाजपा बीकानेर देहात द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन दिवस पर आयोजित सेवा पखवाड़े के लिए जिला संयोजक और सह संयोजकों की घोषणा की गई है। भाजपा जिला अध्यक्ष ताराचंद सारस्वत ने बताया की सेवा पखवाड़े के लिए कार्यक्रमों का आयोजन जिला स्तर पर 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक किया जाना है। इन कार्यक्रमों की रूपरेखा तय करने, कार्यक्रमों का सफल आयोजन सुनिश्चित करने और कार्यक्रमों की मॉनिटरिंग के लिए भाजपा के जिला उपाध्यक्ष आसकरण भट्ट को जिला संयोजक बनाया गया है। उनके साथ मेघवाल व जिला मंत्री अगरसिंह को जिला सह संयोजक

## कन्या रा किसके लिए

नई दिल्ली (हि.स)। सितंबर माह खास और विशेष योग बनने जा में कई ग्रह का संयोग बन रह ग्रह कन्या राशि में वक्री होकर बाद ही सूर्य और शुक्र की युति है। कन्या राशि में बुध, सूर्य राशि के लोगों का फायदा तो

सितंबर में कन्या राशि में हलचल सबसे पहले बीते 10 सितंबर 2022 को बुद्धि, व्यापार और वाणी के ग्रह बुध कन्या राशि में वक्री हो गए हैं। कन्या राशि बुध ग्रह के स्वराशि है। ऐसे में बुध के अपनी ही राशि में वक्री होना कई मायनों में खास रहने वाले साबित होगा। वैदिक ज्योतिष के अनुसार सूर्य हर माह में अपनी राशि बदलते हैं। ऐसे में 1 सितंबर को सूर्य देव अपनी स्वराशि सिंह राशि को विराम देते हुए कन्या राशि में प्रवेश कर ज्योतिष में सूर्य को आत्मविश्वास, नेतृ

down and entry."  
 us vaccine, now  
 ernment's univer-  
 sion programme,  
 d to the list. Also  
 me, the standing  
 at oversaw the

cluded in the list since data on  
 them is inconclusive and they  
 have received only emergency-  
 use authorisation in the country.  
 He said the committee wanted to  
 highlight the increasing use of  
 fixed-dose combination drugs,  
 and only medicines that need to

Bharti Pravin Pawar said that  
 anti-microbial resistance, that  
 was kept in mind while design-  
 ing the current list, is a big and  
 emerging challenge for health-  
 care, and awareness must be cre-  
 ated so that people complete  
 their treatment.

cover will hold a public meeting  
 in Ladhun, Khan said.  
 This will be the first public  
 programme of AIMIM in  
 Rajasthan after Owaisi an-  
 nounced this year that his party  
 will fight the Assembly elections  
 due next year.

## Fire in e-scooter 8 in hotel above



Police inspect the site of the inferno in  
 hotel on Tuesday. PTI

and brothers had  
 the e-bike busi-  
 ness illegally, for the  
 from the build-

both buildings. They subse-  
 quently alerted the authorities.

aid a few hotel  
 spotted the fire  
 escaped from  
 of Ruby hotel to  
 Yatri Inn Hotel  
 sage connecting

### NAME CHANGED

I, USHA KUMARY spouse of  
 Radha Krishna Pillai B resident  
 of Sadhuwali cantt  
 Sriganganagar Have changed my  
 Name from USHA KUMARY to  
 USHA KUMARY R vide Affidavit  
 no BF 152303 dated 6/9/22  
 Notary Sri Ganganagar.

### Credit Company Limited

15 Park, P... Powai, Mumbai 400 076

### IMMOVABLE PROPERTIES

under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and  
 the Borrower(s) and Guarantor(s) that the below described immovable  
 property of which has been taken by the Authorised Officer of Fullerton  
 is where is", "As is what is", and "Whatever there is" on the date and  
 herein below and further interest and other expenses thereon till the  
 Secured Creditor from the Borrowers and Guarantor(s) mentioned  
 the last date of EMD deposit is also mentioned herein below:

Immovable property	Reserve Price, EMD & Last Date of Submission of EMD	Date and time of E-Auction
PARCEL OF PROPERTY BEARING HOUSE NO. 279 AT MOHALLA PURANI KOTWALI, HAT DARWAJA, RAJASTHAN. BOUNDED BY WEST - RUI OFFICE & ROAD; BY SOUTH - ROAD.	Reserve Price: Rs. 3,06,00,000/- (Rupees Three Crore Six Lakh Only) EMD: Rs. 30,60,000/- (Rupees Thirty Lakh Six ty Thousand Only). Last date of EMD Deposit: 28/09/2022	Date: 30/09/2022 Time: 11:00 am to 02:00 pm (with unlimited extensions of 5 minute each)

Ankit Rathore: +91-9711922779, 2) Mr Neeraj Bankawat: +91-  
 Mr Aditya Pareek: +91-7208080590 or refer to the link provided  
 i.e. www.fullertonindia.com

SD/-, Authorised Officer  
 Fullerton India Credit Company Limited



### Post Graduate Program for Executives for Visionary Leadership in Manufacturing (PGPEX-VLM)

(A joint initiative of IIMC, IITK & IITM under the aegis of DIPP & MHRD, Govt)

### ADMISSION FOR 17<sup>TH</sup> BATCH COMMENCING FROM APRIL 2023 AT IIMC

GRADUATE ENGINEERS with First Division/First Class  
 marks from Class X onwards with minimum 4.5 years to  
 maximum 10 years work experience (for self-sponsored  
 candidates) or minimum 4.5 years work experience (for  
 sponsored candidates with study leave) in manufacturing,  
 engineering and related sectors. For further details and  
 online application, visit <http://www.iitk.ac.in/ime/vlm>.

Last date of submission of duly filled & signed online  
 Application along with Application Fee of INR 3,500/-  
 through DD in favour of "Indian Institute of Technology,  
 Kanpur" is Monday, November 14, 2022. Details about  
 other important dates and processes are available at the  
 program website. For further queries, call +91 512 2596590  
 / 2597376 / 2596562 or email to: [vlmp@iitk.ac.in](mailto:vlmp@iitk.ac.in)

### व न विभाग

क्रमांक : प.1 (56) वन/2022 जयपुर, दिनांक 01 जून 2022

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (HoFF) राजस्थान जयपुर  
 विषय :- Diversion of 0.4185 ha. of forest land in favour of Telesonic Networks  
 limited for Laying of OFC CABLE BLOWING WORK FOR TELESONIC  
 CONNECTIVITY from Forest Naka, near Camel Farm, Kotri Road to Surdhana  
 in Bikaner of total length 9000 mtr. (FP/RJ/OFC/149705/2021)

सूचार्थ :- आपका पत्रांक एफ 14 (OFC)2021/एफसीए/प्रभुवस/1583 दिनांक 05.04.2022  
 महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित प्रस्ताव में Telesonic Networks Limited (प्रयोक्ता अभिकरण) द्वारा वन संरक्षण  
 अधिनियम 1980 के अन्तर्गत सामान्य स्वीकृति के तहत धारा-2 में OFC Cable line हेतु 0.4185 हेक्टर वन  
 भूमि प्रत्यावर्तन की स्वीकृति चाही गई है। नॉडल अधिकारी वन संरक्षण अधिनियम द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव पर  
 विचारपरान्त प्रस्ताव पर वन संरक्षक अधिनियम 1980 के अन्तर्गत धारा-2 में सामान्य स्वीकृति बाबत जारी दिशा-  
 निर्देश एवं नवीन निर्देश दिनांक 27.07.2020 के परिप्रेक्ष्य में Diversion of 0.4185 ha. of forest land in  
 favour of Telesonic Networks limited for laying of OFC CABLE BLOWING WORK FOR  
 TELESONIC CONNECTIVITY from Forest Naka, near Camel Farm, Kotri Road to Surdhana  
 in Bikaner of total length 9000 mtr. की सैद्धान्तिक स्वीकृति बिना वृक्षों के पातन सहित निम्न शर्तों के अन्वये  
 प्रदान करती है :-

- वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
- प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जायेगा।
- पत्रांक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं  
को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जायेंगे।
- प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले वृक्षों को वन विभाग की पुनर्नृणति के नहीं काटा जाये। उक्त क्षेत्र में रोपित  
पेड़ परिपक्व होने पर, वन विभाग के होंगे।
- प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं  
लाया जायेगा।
- प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/केरोसिन तेल आपूर्ति  
की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो।
- प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस-पास की वनभूमि से पर निर्माण कार्य के दौरान  
मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जायेगा।
- प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा।
- प्रयोक्ता अभिकरण, सैद्धान्तिक स्वीकृति की पालना के साथ एच.आर.ए. सर्टिफिकेट प्रस्तुत करावेगा। तदपरान्त ही  
विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।
- राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रयोग संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार  
द्वारा किया जा सकेगा।
- भारत सरकार के पत्रांक 7-23/2012/एफसीए दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक  
07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जावे तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूरर एजेंसी  
हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक-एक-समाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित करावे एवं जारी स्वीकृति की प्रतियां  
स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध  
काराना सुनिश्चित करें।

For: Telesonic Networks Limited (प्रयोक्ता अभिकरण) शासन सचिव

Authorised Signatory

2. Smt. Nam Devi (Co-Applicant)  
 3. Sh. Hemraj Mali (Co-Applicant)  
 Add : Patta No.46, N  
 Ranikpura, Mali Moh  
 Chamanpura, Panchay  
 Bhiwara, Rajasthan-3110  
 4. Sh. Yogesh Mali Add:  
 Bhiwara, Rajasthan. (Gug)

1. Smt. Vijay Laxmi Gupta  
 2. Sh. Kailash Kumar Agan  
 Add : Flat No. G-2, Group  
 121-A, Ganesh Nagar-8th  
 Jaipur, Rajasthan

1. Sh. Rati Ram Gurjar (Ap  
 2. Sh. Vishnu (Co-Applic  
 3. Sh. Morpal Gurjar (Co-A  
 Add : 58, Dolyo Ka Mohalh  
 Samiti Tonk, Distt. Tonk, R

1. Smt. Kanya Bai also kno  
 Sh. Surendra Dhakad (Ap  
 2. Sh. Narendra Kumar S  
 Add : Khasra No. 424, V  
 Ishwarpura, Tehsil Mangro  
 325215 (Co-Applicant)

Date : 14.09.2022 Place

क्रमांक प. 1 (56) वन/2022

जयपुर, दिनांक— 01 JUN 2022

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoF)  
राजस्थान, जयपुर।

**विषय—** Diversion of 0.4185 ha. of forest land in favour of Telesonic Networks limited for Laying of OFC CABLE BLOWING WORK FOR TELESONIC CONNECTIVITY from Forest Naka, near Camel Farm, Kotri Road to Surdhana in Bikaner of total length 9000 mtr. (FP/RJ/OFC/149705/2021)

**संदर्भ—**आपका पत्रांक एफ 14 (OFC)2021/एफसीए/प्रगुवरा/1583 दिनांक 05.04.2022

महोदय

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित प्रस्ताव में Telesonic Networks Limited (प्रयोक्ता अभिकरण) द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत सामान्य स्वीकृति के तहत धारा-2 में OFC Cable Line हेतु 0.4185 हेक्टर वन भूमि प्रत्यावर्तन की स्वीकृति चाही गई है। नोडल अधिकारी वन संरक्षण अधिनियम द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव पर विचारोपरान्त प्रस्ताव पर वन संरक्षक अधिनियम 1980 के अन्तर्गत धारा-2 में सामान्य स्वीकृति वाबत जारी दिशा-निर्देशों एवं नवीन निर्देश दिनांक 27.07.2020 के परिपेक्ष्य में Diversion of 0.4185 ha. of forest land in favour of Telesonic Networks limited for Laying of OFC CABLE BLOWING WORK FOR TELESONIC CONNECTIVITY from Forest Naka, near Camel Farm, Kotri Road to Surdhana in Bikaner of total length 9000 mtr की सैद्धान्तिक स्वीकृति बिना वृक्षा के घातन सहित निम्न शर्तों के अध्यक्षीन प्रदान करती है:--

1. वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
2. प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा।
3. याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे।
4. प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले वृक्षों वन विभाग की बिना पूर्वानुमति के नहीं काटा जावे। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर, वन विभाग के होंगे।
5. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस-पास मजदूरी/रटाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा।
6. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/रटाफ को रसाईं गैस/करोरिन तेल आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों का क्षति न हो।


सुमन  
सुमन  
सैरपंच

ग्राम पंचायत गाड़वाला

पंचायत समिति बीकानेर

7. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के आंतरिक आस-पारा की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/परतण काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा।
8. प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा।
9. प्रयोक्ता अभिकरण, सैद्धान्तिक स्वीकृति की पालना के साथ एफ.आर.ए. सर्टिफिकेट प्रस्तुत करावेगा। तदोपरान्त ही विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।
10. राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा।
11. भारत सरकार के पत्रांक 7-23/2012/एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिव्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जायें तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूजर एजेंसी हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक-एक समाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित करावें एवं जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,



  
 ( बी. प्रवीण )  
 शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. अपर वन महानिदेशक-वन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, इन्दिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज, जोर बाग रोड, नई दिल्ली-110003
2. उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर कक्ष संख्या बी-ब्लॉक, अरण्य भवन झालाना, जयपुर।
3. अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन सुरक्षा एवं नोडल अधिकारी एफ.सी.ए, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि इस प्रकार के प्रकरणों में जारी की गई स्वीकृतियों की मासिक सूचना संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को प्रत्येक माह की 5 तारीख तक प्रेषित की जावे।
4. मुख्य वन संरक्षक, बीकानेर।
5. जिला कलेक्टर, बीकानेर।
6. उप वन संरक्षक, वन्यजीव बीकानेर।
7. Telesonic Networks Limited K-21 Sunny house, Malviya Marg, C-Scheme, Jaipur.
8. रक्षित पत्रावली।

  
 ग्राम पंचायत नादवाला  
 पंचायत समिति बीकानेर


  
 ( लखन सिंह )  
 विशेषाधिकारी, वन



FORM-I

(for linear projects)

Government of Rajasthan

**Office of the District Collector, Bikaner**

No. F.8-1( ) Revenue/Forest/Diversion/14/ 8112

Dated- 6/12/22

**TO WHOSOEVER IT MAY CONCERN**

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC (pt) dated 3<sup>rd</sup> August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA' for short ) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5<sup>th</sup> February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **0.4815 hectares** of forest land proposed to be diverted in favour of **Layaing Optical Fiber Cable at Location near Camel Farm, Kotri Road to Surdhana, Khasara No.-101, 123 and 78, with Land Area 10.01, 9.33 and 10.44 respectively in Tehsil and District-Bikaner (Rajasthan)** falls within jurisdiction of Bikaner.

It is further certified that:

- the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **0.4815 hectares** of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure A to annexure C
- the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it;
- the proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl: AS above

  
(Bhagwati Prasad)  
District Collector, Bikaner


No. F.8-1( ) Revenue/Forest/Diversion/14/


Dated-

Copy forwarded to :

- DFO (Territorial), Bikaner
- DFO (Stage-II), Bikaner

1  
Add. District Collector  
(Adm.), Bikaner

Received.  
  
ग्राम विकास अधिकारी  
ग्राम पंचायत गाढ़वाला  
पंचायत समिति, बीकानेर

  
सुमन  
सरपंच  
ग्राम पंचायत गाढ़वाला  
पंचायत समिति, बीकानेर